इकाई 15 संचार माध्यम और जन नीतियां

संरचना

15.1 प्रस्तावना

15.2 जन नीतियां क्या होती हैं?

15.2.1 परिभाषाएं

15.2.2 जन नीतियां और प्रशासन

15.3 जनसंचार और जनतंत्रःभूमिका और प्रभाव

15.3.1 उद्‌भव काल

15.3.2 आधुनिक जनतंत्र और प्रेस

15.3.3 संचार माध्यमों की नई प्रौद्योगिकियां और जनतंत्र

15.4 जनसंचार माध्यम और जनमत

15.5 केस अध्ययन

15.5.1 सी.एन.जी. पर सरकारी नीति

15.6 सारांश

15.7 अभ्यास

15.1 प्रस्तावना

जनतंत्र और संचार माध्यम विकास की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व हैं क्योंकि आजकल विकास को केवल चुनी हुई सरकारों की ही ज़िम्मेदारी नहीं माना जाता। नीतियां बनाने की पहल करने के बावजूद सरकारों को जनता की भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है और विभिन्न चुनाव, जन आंदोलन और बहसों जैसा जनतांत्रिक प्रक्रियाएं जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। समाचार माध्यमों सहित सभी जनसंचार माध्यम लोगों को विकास से जुड़ी सूचनाएं प्रदान करने के साथ-साथ इन मुद्दों पर बहस के लिए स्थान भी मुहैया कराते हैं।

भूमंडलीकरण के इस युग में संचार माध्यम सामाजिक प्रबंध के सबसे सशक्त घट बन कर उभरे हैं। जनमत बनाने में संचार माध्यमों की भूमिका सर्वविदित है। पर कुछ संचार विशेषज्ञ और समाज शास्त्री सोचते हैं कि जनमत तैयार करने में उन लोगों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है जिनकी बात समाज के लोग मानते हैं। लेकिन पूंजीवादी क्रांति के समय से ही प्रेस को लोगतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा ही इसलिए दिया गया था कि लोगों के विचारों को प्रभावित करने और इस प्रकार पूंजीवादी जनतंत्र के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को गति देने की उसकी भूमिका को पहचान लिया गया था।

इस इकाई में हम सामान्य तौर पर नीति निर्माण और विशेष रूप से जनहित की नीतियों के बनाने में संचार माध्यमों की भूमिका पर विचार करेंगे। संचार माध्यमों की भूमिका दोहरी है। एक तरफ तो यह माध्यम शिक्षाविदों, पत्रकारों, विशेषज्ञों, राजनीतिक दलों के नेताओं, धार्मिक नेताओं, मजदूरों और किसानों के संघों, आदि समूहों द्वारा व्यक्त राय को प्रकाशित कर नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं और दूसरी ओर संचार माध्यम बहस चला कर और जनता को शिक्षित कर नीति निर्माताओं या अधिकारियों को जनता के हितों का ख्याल रखने का दबाव डालते हैं। साथ ही हम लोकतंत्रीकरण

का प्रक्रिया, संचार माध्यमों और सामाजिक विकास पर भूमंडलीकरण और प्रौद्योगिकीय प्रगति के प्रभाव की चर्चा भी करेंगे।

हम लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को आगे ले जाने में माध्यम प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर भी विचार करेंगे।

15.2 जनहित नीति क्या है?

जनहित नीति वह प्रक्रिया है जो किसी राष्ट्रीय या प्रांतीय सरकार, नगर पालिका और पंचायतों को लोक हित में कुछ कदम उठाने में मदद करती है। स्वास्थ्य, समाज कल्याण, संचार माध्यमों, रक्षा, कृषि, आदि से जुड़े मसले ऐसे है जिनका जन सामान्य पर असर पड़ता है और इसलिए इन्हें जनहित नीतियों के मसले माना जाता है।

15.2.1 परिभाषाएं

जन नीतियों की एक परिभाषा वह है जो कोंसीड़ीन ने दी है जिसमें वह कहते हैं जन नीति वह कार्रवाई है जो प्रशासकीय सत्ता को अपने संसाधन निश्चित मूल्यों के समर्थन में करने को बाध्य करती है। उनके अनुसार नीति निर्धारण में जन मूल्यों का स्पष्टीकरण, पैसे और सेवाओं की वचन बद्धता और अधिकार और पद? देना शामिल होता है। (कोंसीडीन, 1994, प. 3)

एक विद्वान के अनुसार जन नीतियां वहां होती है जहां समुदाय समुदायों के तौर पर बातें तय करना चाहते हैं, लेकिन एक अन्य विद्वान कहते हैं कि जन नीतियां सरकार के जनता की समस्याओं को हल करने वाले फैसले और कार्रवाई होती है। जन नीतियों को परिभाषित करते हुए वह यह भी कहते हैं कि जन नीतियां अच्छे समाज की परिभाषा और उसको बनाने के तरीकों के लिए होने वाले संघर्ष का परिणाम होती है।

जन नीतियों की एक और परिभाषा वह हो सकती है जो जन नीतियों को सत्ता, अधिकारों, संसाधनों, सूचनाओं और लाभों के वितरण और प्रबंधन के जरिए जनहित के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति हो।

जैसा हमने देखा, जन नीतियों का दायरा बहुत बड़ा है और इसमें वह सब मामले आ जाते हैं जो जनता से जुड़े हों। भले ही वह स्वच्छता और स्वास्थ्य के मामले हों या पेय जल की समस्या हो इन सभी के लिए नीतियां बनाने और फिर उन्हें कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ताकि जनता बेहतर महसूस कर सके।

15.2.2 जनहित नीति और प्रशासन

जनतंत्र में लोग अपने नेताओं को बेहतर प्रशासन उपलब्ध कराने की उनकी योग्यताओं के कई स्तरों पर चुनते हैं। यदि किसी राजनीतिक पार्टी के सरकार बनने वाले नेता जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नीतियां नहीं बनाते हैं तो उन्हें जनता अस्वीकार कर देती है। शासन करने वाली और विपक्ष में बैठने वाली राजनीतिक पार्टियों के पास एक निश्चित परिपेक्ष्य का होना आवश्यक होता है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि नीति निर्धारण, मौजूदा नीतियों पर बहस तथा जननीति के बारे में एक अलग द ष्टिकोण को सामने लाना लोकतांत्रिक शासन के अभिन्न अंग बन जाते हैं।

सरकार के लोकतांत्रिक रूपों में जन नीतियों का मुख्य भाग संसद में विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाया जाता है। लोकतंत्र में नीति निर्धारण संस्थाओं की राज्य स्तरीय और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों जैसी कई तहें होती हैं। संसद जनता की भागीदारी का प्रधान, सर्वोच्च प्रतीक है जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजती है। वह प्रतिनिधि सरकार द्वारा बनाई जाने वाली सभी नीतियों पर विधान बनने से पहले चर्चा और बहस करते हैं। राजनीतिक पार्टियां जनता के प्रतिनिधित्व का दूसरा रूप है। समान राजनीतिक विचार और रुचियों वाले लोग ऐसे राजनीतिक दल का गठन करते हैं जो लोगों के एक वर्ग की विचारधारा को प्रतिबिम्बित करते हैं। श्रमिक तथा किसान आंदोलन, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन तथा सामाजिक आंदोलन भी राजनीतिक अभिव्यक्तियों के मंच हैं। संचार माध्यम भी एक अन्य संस्था है जो सरकार और जनता के बीच संप्रेषण को आसान बनाती है।

15.3 लोकतंत्र में संचार माध्यमः भूमिका और प्रभाव

15.3.1 प्रारंभिक दौर

मुद्रणालय के अविष्कार के समय से ही और विशेषकर यूरोप में जनतंत्र की स्थापना के बाद से ही प्रेस और राजनीति का चोली-दामन का साथ रहा है। भले ही यूरोप में मुद्रणालय का आगमन पूंजीवादी क्रांति से बहुत पहले हुआ उसे उसकी असली जगह और महत्व इस क्रांति के दौरान और बाद में ही मिल पाया। सामंती व्यवस्था को इसलिए उखाड़ फेंका गया कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल्यों पर निर्भर पूंजीवादी जनतंत्र स्थापित किया जाना था। हालांकि क्रांति से पहले ही प्रेस विमर्श का एक ऐसा प्रमुख औजार बन गया था जिसके बिना जॉन स्टुआर्ट मिल, हॉब्स, रूसो, बॉल्टेर, मोंतेस्किय के साथ कई अन्य दार्शनिकों और चिंतकों के विचारों का प्रचार संभव नहीं था। पास्कल और देकार्त की बहुचर्चित दार्शनिक बहस भी प्रेस की बजह से संभव हुई। कहना अनुचित न होगा कि प्रेस इस प्रकार की बहसों का माध्यम बना जिन्होंने पूंजीवादी जनतंत्र के आन्दोलन को वैचारिक आधार दिया। यही वजह थी कि आधुनिक जनतंत्र में प्रेस को चौथे स्तंभ का दर्जा दिया गया।

पूंजीवाद के आरंभिक दिनों में पत्रकारिता का काम उभरते हुए जनतंत्र की उपलब्धियों को प्रचारित करना था। यही वह काल खंड है जहां पत्रकारिता की राजनीतिक विकास में भूमिका तय हुई। वह पूंजीवादी जनतंत्र के विचारधारात्मक विकास का प्रमुख माध्यम बना और उसने सत्ता के प्रतिनिधि के तौर पर जनता से संवाद किया। जो लोग सत्ता में आए थे वह यह दावा कर रहे थे कि वह — जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार — बना रहे हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की जो कुछ बातें बतानी थी वह नहीं बताई जा सकती थीं यदि ऐसा करने से नवस्थापित व्यवस्था की उपलब्धियों का महत्व कम हो या ऐसा करने से समाज पुरानी व्यवस्था की आरे लौटता हो। यही वजह थी कि जनतंत्र के प्रवक्ताओं ने कहा कि — यदि स्वतंत्रता का दुरुपयोग इस हद तक हो कि सही नैतिक मूल्यों और राज्य सत्ता को खतरा पहुंचे तो उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।

आने वाले वर्षों में पूंजीवादी जनतंत्र परिपक्व हुआ और उसे लगा कि जनता में जनतांत्रिक चेतना की प्रक्रिया को तब तक तेज़ नहीं किया जा सकता जब तक मौजूदा स्वतंत्र प्रेस से भी अधिक स्वतंत्र प्रेस नहीं होगा।

स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के उच्च आदर्शों वाले आधुनिक जनतंत्रों ने संसद (विधान पालिका), सरकार (कार्य पालिका) और न्यायालय (न्याय पालिका) की मदद से राज्यों में राजनीतिक प्रक्रिया को नियंत्रित किया। उन्होंने प्रेस को जनतंत्र का चौथा स्तंभ घोषित किया। तभी से यूरोप और अमेरिका में प्रेस स्वतंत्र विमर्श का प्रमुख कारक बन गया।

अमेरिकी प्रेस के उद्देश्यों के बारे में हर्बट जे. एल्टथुल ने अपने व्याख्यानों में जनतंत्र और पत्रकारिता के संबंधों की चर्चा की है। वह कहते हैं:

जनतंत्र में जनता ही शासन करती है और उनकी आवाज़ें मतदान पेटियों में सुनी जा सकती हैं। मतदान पेटियों में व्यक्त जनता के निर्णय उन्हें प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर करते हैं। समाचार माध्यम मूलतः यह सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। अतः समाचार माध्यम जनतंत्र के बने रहने के लिए अनिवार्य हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि जनतंत्र एक स्वतंत्र समाज है। किसी अन्य शासन प्रणाली में नागरिक स्वतंत्र नहीं होते। अतः समाज के स्वतंत्र होने के लिए नागरिकों तक सूचनाओं का प्रवाह ऐसे समाचार माध्यमों से होना चाहिए जो स्वतंत्र हों। आजकल यह केवल अमेरिकियों की ही नहीं बल्कि पूंजीवादी विश्व के अधिकांश नागरिकों की भी यही धारणा है।

15.3.2 आधुनिक जनतंत्र और पत्रकारिता

विभिन्न देशों में जनसंचार माध्यम जनतांत्रिक प्रक्रियाओं से अधिकाधिक जुड़ते जा रहे हैं। सरकारी अधिकारी और राजनेता अपने कार्यक्रमों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए संचार माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। जनता भी यह निर्णय करने के लिए संचार माध्यमों पर अधिक से अधिक निर्भर करती है ताकि उनके नेता अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे प्रचार करते हैं, कैसे शासन करते हैं और कैसे जन नीतियों का निर्धारण करते हैं। आश्चर्यजनक है कि संचार माध्यमों के प्रभाव के बढ़ने से मतदाताओं की भागीदारी घटती है। सुसंज्ञानित नागरिक और हमारे लोकतंत्र के सक्रिय भागीदार होने के लिए जनता को प्रशासनिक प्रक्रिया और उसमें संचार माध्यमों की भूमिका की जानकारी होना आवश्यक है।

आम नागरिक को मनोरंजन और संस्कृति की दुनिया का तो संचार माध्यमों से अच्छा ज्ञान हो जाता है लेकिन इनमें से अधिकांश यह नहीं जानते कि राजनीति और जन नीति के साथ संचार माध्यमों का क्या संबंध है और वह किस तरह से उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। यह आवश्यक है कि वह इन बातों को जाने ताकि वह राजनीति से जुड़े माध्यम संदेशों का विचारवान *उपभोक्ता* बने। संचार माध्यम और जनतंत्र के बदलते रिश्तों को खोजने के लिए हम उन्हें कैसे प्रेरित कर सकते हैं? ऐसे ही कुछ सवालों पर शिक्षाविदों, पत्रकारों, माध्य प्रबंधकों और नागरिकों को मिलकर सोचना चाहिए।

आधुनिक जनतंत्रों में संचार माध्यमों और जन नीतियों के संबंध लगातार आलोचनात्मक और जटिल हुए हैं। ऐसे समाज में जहां 24 गुणा 7 समाचार व त्त विभाजित जनता पर सूचनाओं की बौछार करता हो, जहां सूचनात्मक मनोरंजन और विमर्श संस्कृति अक्सर पारंपरिक पत्रकारिता पर छा जाती है वहां जन नीतियों में परिवर्तन करने या उन्हें बनाने के लिए आवश्यक राजनीतिक सहमति बनाना और इसके लिए लक्षितजन विमर्श करना कठिन हो गया है। चुनाव, लक्षित समूह विमर्श के अंश, बहसें विशेष रुचि पर होने वाला व्यापक खर्च और निगमों के लोकप्रयता सूचकांक और प्रसार के दबाव महत्वपूर्ण मसलों को बदशक्ल कर सकते हैं या उन पर ग्रहण लगा सकते हैं।

आधुनिक संचार माध्यमों में यह शक्तियां कैसे टकराती हैं जानना संचार माध्यमों और जन नीतियों के विद्यार्थियों के लिए नितांत आवश्यक हो गया है। यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समाचार कक्षों में जन नीतियों से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के निर्णय कैसे होते हैं, प्रवक्ता अपने संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए संचार माध्यमों पर कैसे निर्भर करते हैं और संचार माध्यमों का उपयोग कैसे करते हैं।

15.3.3 नई संचार प्रौद्योगिकी और जनतंत्र

सूचना प्रौद्योगिकी के और विभिन्न संचार प्रौद्यौगिकियों के अभिसरण की वजह से संचार माध्यमों की प्रकृति में परिवर्तन हुआ है। संचार माध्यम का पहले अर्थ केवल समाचार पत्र पत्रिकाएं होता था वहीं अब रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर के इसमें शामिल होने की वजह से इसका अर्थ और व्यापक हो गया है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल से प्रेस के स्वभाव में कई नए परिवर्तन हुए हैं। सूचनाएं इंटरनेट पर बहुतायत से उपलब्ध हैं जिससे पाठकों और नागरिकों की समाचारपत्रों पर निर्भरता कम हुई है। विश्व भर में सरकारें अब सूचनाएं नागरिकों तक पहुंचाने के लिए न केवल इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हैं बल्कि आवेदन पत्र जमा करने, उन्हें भरने के लिए, आदेश और विज्ञप्तियां जारी करने जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए इंटरनेट और अंकीय प्रोद्योगिकियों का प्रयोग को प्रोत्साहन दे रही है। अंकीय प्रौद्योगिकी के इसी प्रयोग को ई-प्रशासन कहते हैं।

अभी कंप्यूटर और इंटरनेट की प्रगति सीमित है लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार सुविधाओं की कीमतों में और सुधार होने के बाद नई माध्यम प्रौद्योगिकियों में स्वतंत्र अभिव्यक्त की संभावनाएं ज्यादा होंगी क्योंकि प्रेस, रेडियो और टेलीविजन जैसी प्रौद्योगिकियों की तुलना में इसमें कथ्य पर निजी या सरकारी नियंत्रण कम है। पहले संचार माध्यमों को स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की गई थी कि वह जनता का प्रतिनिधित्व करें लेकिन इन प्रौद्योगिकियों की कीमत और प्रबंधन की वजह से इन माध्यमों के मालिकों को अपनी रुचि एवं हितों के अनुसार सामग्री प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार मिला हुआ था।

अब ई-प्रशासन और इंटरनेट पर नियंत्रण की कमी की वजह से सरकार और जनता के बीच एक जीवंत संचार माध्यम है और अधिक से अधिक समान हित समूह समानधर्मी लोगों से संबंध कायम कर रहे हैं और अनेक मसलों पर जनमत बनाने में भी सक्षम हैं।

15.4 संचार माध्यम और जनमत

यह निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि संचार माध्यम काफी हद तक जनमत तैयार करते हैं। ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जो दर्शाते हैं कि संचार माध्यम ही लोगों की राय बनाने के एकमात्र साधन नहीं है। 1940 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान पॉल इ लाज़ारफेल्ड और अन्य विद्वानों ने जो शोध किया इससे पाया कि लोगों के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संचार माध्यमों का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। अपनी पुस्तक 'द पीपुल्स चॉइस' में उन्होंने अंतर्वैक्तिक संप्रेषण, हमजोली समूहों और ओपिनियन लीडरों को भी जनमत निर्माण के प्रमुख घटक माना। फिर भी दो पायदानों वाले सूचना माडल में भी जनसंचार माध्यमों की भूमिका को पूरी तरह से नकारा नहीं गया बल्कि उसे जनता और ओपीनियन लीडर तक सूचनाएं प्रेषित करने की अहम भूमिका में दर्शाया गया।

1970 के दौरान संचार सिद्धांतकारों ने जनमत निर्माण में पुनः संचार माध्यमों की भूमिका को रेखांकित किया। जॉर्ज गार्बनर (1967) ने कल्टीवेशन सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें संचार माध्यमों को समाज का निर्माता घोषित किया। उनका मत था कि संचार माध्यमों का लोगों के नज़रिए पर व्यंजनात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि उन्होंने दर्शाया कि अपने बार-बार और लम्बे प्रसार की वजह से वह प्रभावी प्रतीकों का निर्माण करता है। उनके शोध समय के अनुकूल थे क्योंकि उस समय विज्ञापन समाज को प्रभावित कर रहे थे। बाद में संचार माध्यमों और राजनीति के संबंधों की पड़ताल भी की गयी और मेक्सवैल मकोम्ब और डोनाल्ड शॉ (1972) ने चुनावों के दौरान माध्यमों द्वारा एजेंडा तय करने की जांच की। एजेंडा तय करने वाले सिद्धांत के प्रणोताओं का मानना है कि संचा माध्यम लोगों को क्या सोचना है की तुलना में सोचने के लिए क्या-क्या है बताने में सफल होते हैं। इस अध्ययन में संचार माध्यमों द्वारा तय किए गए मुद्दों की तुलना लोगों और राजनेताओं द्वारा तय किए गए मुद्दों से की गई। इस अध्ययन में बताया गया है कि समय के साथ माध्यमों द्वारा तय किए गए मुद्दे जनता के मुद्दे बन जाते हैं।

संचार के दूसरे विद्वानों ने हमें जनसंचार के कई वैकल्पिक सिद्धांत बताए हैं पर हम यहां दो अन्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। मेल्विन द फ्लर और सैंड्रा बॉल राकीक ने निर्भरता का सिद्धांत सामने रखा जिसमें कुछ सामरिक तथा मनोवैज्ञानिक घटक संचार माध्यमों का उनके पाठकों और दर्शकों पर नियंत्रण रखने से बचाव करते हैं। वह कहते हैं– जनसंचार माध्यमों में न केवल यादृच्छिक प्रभाव सत्ता की कमी होती है बल्कि वह यादृच्छिक संप्रेषण कर पाने में भी सक्षम नहीं होते। माध्यम और उसके श्रोता या दर्शक समाज के अभिन्न अंग हैं अतः आस-पास का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ न केवल उनके संदेशों पर नियंत्र रखते हैं बल्कि उन संदेशों के दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी नियंत्रित करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत विकास संचार का सिद्धांत कहलाता है जिसे विकासशील देशों के संचार समस्याओं के अध्ययन के लिए मैक्ब्राइड आयोग ने प्रतिपादित किया। संचार की अंतर संरचना के अभाव, यंत्रों और सामग्री के लिए विकसित देशों पर निर्भरता आदि वह समस्याएं थी जिनका अध्ययन किया गया। अपने-अपने समाजों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता वाला काम मानने की उनकी प्रतिबद्धता और समान हितों वाले देशों की पहचान करना इन देशों के लक्ष्य थे। विकास संचार सिद्धांतकारों की प्रमुख चिंता ग़रीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता, रोजगार, आदि के विकास कार्यक्रमों में संचार माध्यमों का इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढ़ना था। इस सिद्धांत की सफलता सरकारों पर निर्भर करती है क्योंकि वही विधाई नीतियों की मदद से संचार माध्यमों की स्वतंत्रता या उन पर नियंत्रण लगा सकती हैं।

ऊपर दिए गए तथ्यों से स्पष्ट है कि संचार माध्यम सूचनाओं के प्रसार, लोगों को मुख्य मुद्दों के बारे में शिक्षित करने और उनके मनोरंजन करने के शक्तिशाली औज़ार हैं। संचार माध्यमों की लोगों को प्रभावित करने की इसी क्षमता की वजह से कई बार सरकारें सेंसरशिप जैसे काले कानून लाकर इन पर नियंत्रण करना चाहती है।

15.5 केस अध्ययन

जन नीतियों पर संचार माध्यमों का असर जन नीति जन नीति के मुद्दों पर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि हाल ही में तमाम नीतियों में परिवर्तन हुए हैं, लेकिन बेहतर अध्ययन के लिए हम यहां एक जन नीति का उदाहरण लेंगे।

हाल ही में हुए हर एक बदलाव ने जनता को बहस के लिए उकसाया है जैसे कि एम.आर.टी.पी. विनिवेश, श्रम कानून, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आदि।

15.5.1 सी.एन.जी.पर जन नीति

हाल ही में दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार देश की राजधानी में पर्यावरण के अनुकूल सी.एन.जी का प्रयोग लागू किया ताकि वायु प्रदुषण में कमी हो। इस निर्णय से अनेक डीजल वाहन निर्माताओं को झटका लगा, खासकर उन हल्के वाहन उत्पादकों को जो अपने वाहन या तो लाए या फिर डीजल कारें बाजार में लाने वाले थे। सभी जन वाहनों को सी.एन.जी. में परिवर्तित करने की आवश्यकता ने सभी वाहन मालिकों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। इससे सवारियों को काफी परेशानी हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए नीति को समय से कार्यान्वित करने के आदेश दिए जबकि कई विरोधाभासी हितों के कारण यहां पर कई दबाव थे। अंततः विपक्षी दल भा.ज.पा. और सत्तारूढ़ कांग्रेस में तनाव स्पष्ट दिखाई दिया।

संचार माध्यमों तक यह लड़ाई बढ़ी और उन्होंने कार्यान्वयन के हर स्तर को रिपोर्ट किया। कुछ बड़ी मुख्य खबरें जो अखबारों में इस काल में आई बह्य संचार माध्यमों का इन मामलों में हस्तक्षेप भी स्पष्ट करती हैं। उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं:

प्रदूषित दिल्ली को सी.एन.जी. चाहिए, भाजपा ने कहा नहीं

(टाइम्स न्यूज नेटवर्क)

सी.एस.ई. ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सराहा

(एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, अप्रैल 6, 2002)

सी.एन.जी. मुद्दे पर कबीना विभाजित

(हिन्दू अप्रैल 8, 2002)

खुराना, साहिबसिंह ने सर्वोच्च न्यायालय को नकारा

राम नाइक और अरूण जेटली ने विधाई आदेश का समर्थन किया

(एक्सप्रेस न्यूज, अप्रैल 8, 2002)

केन्द्र न्यायालय की ताकत को पचा जाना चाहता है: विशेषज्ञ

(ऐक्सप्रेस न्यूज सर्विस, अप्रैल 8, 2002)

असल में संचार माध्यमों के अलावा, राजनीतिक दल तथा परिवहन मालिकों और सवारियों के समान हित वाले समूहों के अलावा अन्य दबाव समूह और जनमत बनने वाले अन्य लोग इस खेल में शामिल थे।

सी.एस.ई जोकि एक गैर सरकारी संगठन है उसने सी.एन.जी.को दिल्ली में लागू करते की खूब वकालत की। इसकी जानकारी विस्तार से गैर सरकारी संगठन की वेब स्थली पर उपलब्ध है।

इस बात को पूरी तरह से जाने बिना कि सी.एस.ई. इस मामले में संबंधित पक्ष है जन नीति विश्लेषण का अध्ययन करने वालों को चाहिए कि वह और भी वेबस्थलियों पर जाएं और यह समझें कि

सी.एस.ई. का समर्थन या विरोध करने वालों के क्या तर्क है। फिर भी, सी.एस.ई. द्वारा वेबस्थली पर उपलब्ध कराई गई बातें विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई जन नीतियों के विश्लेषण करने के लिए काफी है।

सी.एस.ई. द्वारा जारी की गई कुछ प्रेस कतरनों के अंश जो वायु प्रदूषण और उनमें शामिल विभिन्न राजनीतिक और व्यापारिक हितों और उनके सी.एन.जी. प्रयोग के समर्थन या विरोध का वर्णन करते हैं, नीचे दिए गए हैंः

नवम्बर 1, 1998

सांसहीन विकास के दो दशक

भारत का सकल घरेलू उत्पाद पिछले 20 वर्षों में ढ़ाई गुना बढ़ा है– और गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण 8 गुना बढ़ा है। सी एस ई का कहना है कि दो स्ट्रॉक और डीजल गाड़ियों को बढ़ावा देने वाली नीतियां इसके लिए ज़िम्मदार हैं।

सी एस ई द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार, 1975-95 के अंतराल में जहां भारत के सकल घरेलू उत्पाद में ढ़ाई गुना इजाफा हुआ है वहीं कल-कारखानों से होने वाला वायु प्रदूषण चार गुना बढ़ा है और वाहनों से होने वाले प्रदूषण में चौका देने वाली 8 गुना बढ़ोत्तरी हुई है।

इन आंकड़ों का खुलासा सी एस ई के निदेशक अनिल अग्रवाल ने पहली नवम्बर को सी एस ई के स्वच्छ हवा के अधिकार के अभियान की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक आम सभा में किया। इस प्रचार का आगाज़ पहली नवम्बर 1996 में एक रिपोर्ट धीमी हत्याः भारत में यातायात प्रदूषण की खतरनाक कहानी (Slow Murder: The Deadly Story of Vehicular Pollution in India) के लोकार्पण के बाद किया गया।

इस प्रचार का असर 1996 में इसके लागू होने के एकदम बाद महसूस किया गया, जब सर्वोच्य न्यायालय ने दिल्ली परविहन विभाग को स्लो मर्डर के लोकार्पण के मद्देनजर सुओ मोटो नोटिस जारी किया और कहा कि वह व्यापक कार्य योजना के साथ सामने आए। पहली नवम्बर, 1997 को इसकी वर्षगांठ सम्मेलन के बाद, जब सी एस ई ने यह बताया कि हर घंटे एक व्यक्ति वायु प्रदूषण की वजह से मरता है तब तात्कालिक पर्यावरण मंत्री सैफुद्दीन सोज़ ने मीडिया अभियान का श्वेत पत्र लाकर जवाब दिया।

अग्रवाल का कहना था कि सरकार एक सोची समझी योजना सामने लाने में नाकामयाब रही है। इसके बजाए सरकार ने उन प्रमाणों के बावजूद कि ऐसे इंजनों वाले वाहन सबसे अधिक प्रदूषण करते हैं डीजल और दो-स्ट्रोक इंजनों को बढ़ावा दिया। 1975 में दो स्ट्रोक अंजन वाले वाहनों की संख्या संपूर्ण बाहन संख्या का 40 प्रतिशत थी जो 1995 में बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई, जबकि इन इंजनों में प्रदूषण का प्रमुख तत्व हाइड्रोकार्बन की पर्यावरण में मौजूदगी से 1980-94 के दौरान 10 गुना इजाफा हुआ।

इसी तरह, डीजल की खतप में 1980-94 के अंतराल में 4 गुना व द्धि हुई जिससे (संस्पेंडेड पार्टीक्यूलेट मैटर) में 9 गुना व द्धि हुई। सरकार को खराब गुणवत्ता के डीजल की बिक्री करने पर कोसते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि यदि भारतीय रिफाइनरियां अपनी डीजन गुणवत्ता में सुधार नहीं कर सकती हैं तो देश को डीजल आयात करना चाहिए। श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि भारतीय निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों से बना डीजल विश्व के सर्वोत्तम से 250 गुना गंदा है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री का दावा–हम होंगे कामयाब

प्रगति मैदान में लगे आटो मेले में सी.एस.ई की प्रदर्शनी में आए दर्शकों को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि समस्या का समाधान कर लिया जाएगा।

चकाचौंध करने वाली कारें और छोटे स्कूटर वार्षिक ओटो प्रदर्शनी के मूल आकर्षण होते हैं। ऐसे में सी एस ई की वायु प्रदूषण पर लगाई गई प्रदर्शनी इस छिपी हुई बात की याद दिला रही थी कि निरंतर बढ़ते हुए ओटोमोबाइल क्षेत्र की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि हर बार जब भारतीय सकल घरेलू उत्पाद दो गुना बढ़ता है, वायु प्रदूषण में 8 गुना व द्धि होती है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने बोर्ड पर लिखा वी शैल ओवरकम विथ योर हेल्प (हम आपके सहयोग से कामयाब होंगे)। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के सी.एन.जी. बसों के आर्डर को मार्च 2000 तक लागू करने में असमर्थ है, लेकिन कहा कि वर्ष के अंत तक इसे हर हाल में लागू कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, देरी का कारण है सी.एन.जी. बसों का निर्माण करने की सहूलियत में कमी और केंद्रीय भूतल परिवहन का 80 सी.एन.जी. स्टेशन स्थापति करने में नाकामी। अब तक केवल 42 स्टेशन स्थापित किए गए हैं, लेकिन अशोक लीलैंड के आर. रामकृषणन के अनुसार उनकी कंपनी सी.एन.जी. बसों का निर्माण करने में सक्षम है। रामाकृष्णन ने कहा, सरकारी जरूरत को पूरा करने और निर्माण में बढ़ोत्तरी के लिए सीसैंड को काफी बड़े पैमाने में आर्डरों की आवश्यकता है ताकि किट बनाने में सहूलियत हो।

उन स्कूली बच्चों के एक सवाल का जवाब देते हुए जो उद्घाटन समारोह में सी.एस.ई. के बच्चों की पत्रिका गोबर टाइम्स के रिपोर्टर के तौर पर मौजूद थे, श्रीमती दीक्षित ने यह माना कि सरकार ने डीजल इंजनों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। डीजन वाहन पैट्रोल वाहनों की तुलना में 10 से 100 गुना ज्यादा एस.पी.एम. छोड़ते हैं। टोक्यों और केलीफ्रोर्निया को सम्मिलित करते हुए, विश्व के ऐसे कई बड़े शहरों ने डीजन इंजनों को कम करने की ओर कदम उठाए हैं जिनमें वाहन संख्या अधिक है। जर्मन पर्यावरण मंत्रालय, कैलीफ़ोर्निया पर्यावरण प्राधिकरण और स्वीड कंसल्टेंसी ने अपने अलग-अलग अध्ययनों से इस बात की पुष्ट की है कि पैट्रोल की तुलना में डीजन ज्यादा हानिकारक प्रभाव डालता है।

सी.एस.ई. ने मुख्यमंत्रियों स्मौग अलर्ट प्रणाली के बारे में साचने को कहा जिससे कि नागरिकों को प्रदूषण स्तर के हानिकारक स्तर तक पहुंचने की चेतावनी मिल सके। साथ ही साथ लक्जरी डीजल कारों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने को कहा और ऐसी कर प्रणाली लागू करने की सिफारिश की जिससे तकनीक और ईंधन में सुधार हो।

9 अगस्त 2001

सी.एस.ई को इस बात से झटका लगा है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री राज़ नाइक ने सर्वोच्च न्यायालय के सी.एन.जी. पर जारी आदेश को लोगों के दिमाग में गलत डर और अनियमितता बता कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।

नई दिल्ली, अगस्त 9, 2001 : जैसे-जैसे हर यात्री परिवहन की सी.एन.जी. में परिवर्तित करने की तारीख नजदीक आती जा रही है, हर इंसान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के लागू करने की तरफ ध्यान दे रहा है, लेकिन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री राम नाइक देश में गैस आपूर्ति के कर्ताधर्ता, को सी.एन.जी. आपूर्ति की बहाली में कोई रुचि नहीं है। इसके बजाए वह अनियमितताएं पैदा कर रहे है जिसकी चोट दिल्ली में सी.एन.जी. इस्तेमाल करने वालों को लग रही है। राम नाइक मीडिया की भ्रमित करने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं जिसमें कई ऐसी समस्याएं बताई जा रही हैं जिनका कि कोई हल नहीं है। उन्होंने भटका देने वाला यह वक्तव्य जारी किया है कि परिवहन आवश्यकताओं के लिए दिल्ली में गैस अनुकूल मात्रा में नहीं है या कि गैस पाइपलाइन के फटने की स्थिति में जब इसकी मरम्मत हो रही होगी तब पूरा शहर काम करना बंद कर देगा तथा ऐसे में सी. एन.जी. के दामों में काफी उछाल आएगा।

सी.एस.ई. के निदेशक अनिल अग्रवाल ने आज एक संवादाता सम्मेलन में गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय के जाल को गंभीरता से लिया और इसके गलत सूचना प्रचार की भर्त्सना करते हुए कहा यह चौंका देने वाली बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के सी.एन.जी. परिवर्तन आदेश के तीन साल बाद भी पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि शहर के परिवहन के लिए अनुकूल मात्रा में गैस उपलब्ध नहीं है। यह कहना इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई.जी.एल.) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को मुहैया कराई गई सूचना के बिल्कुल विपरीत है, यह एक बेहतरीन गलतबयानी का अभ्यास है। हमारे सभी अन्वेषणों से पता चलता है कि डर का या तो कोई अस्तित्व ही नहीं है या फिर इसका समाधान संभव है।

साफ है कि नाइक अपने मंत्रालय के कार्य छिपाना चाहते हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं कि यूरो-2 डीजल को साफ ईंधन करार किया जाए तथा कोई अतिरिक्त काम करने से बचे रहना चाहते हैं और जो बाजार में उपलब्ध है उससे काम चलवाना चाहते हैं।

11 अक्टूबर 2001

राजधानी में एक और सी.एन.जी. बस में आग लगी तथा दिल्ली और जिम्मेवार मंत्रालय चुप्पी साधे हुए है। सुरक्षा पर्यवेक्षण और निर्माता को जिम्मेवार ठहराने के लिए उनके पास कोई कार्ययोजना नहीं है।

नई दिल्ली, अक्टूबर, 2001

तीन महीने के छोटे अंतराल में लगातार चौथी बार सी.एन.जी. बस में आग लगने की घटना और इस पर चुप्पी साधे सरकार को देख सी.एस.ई. को काफी अचंभा है। केवल सी.एन.जी. तकनीक को नाकाम करार करने की इच्छा करने वाली अधिकारिक एजेंसियां अपना सही काम करना भूल गई। एक ऐसी समिति जो कि घटना की जांच करेगी, ऐसा आश्वासन देने के अलावा उनके पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे सुरक्षा प्रबंधों को लागू किया जा सके और किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सके। यहां तक कि पूर्व में गठित समितियों की रिपोर्ट को भी दबा दिया गया है।

ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें बसों का पर्यवेक्षण किया जाए ताकि हर सी.एन.जी. बस के इंजन, ईंधन भंडारन के उच्च दाब और पाइप प्रणाली के पर्यवेक्षण से होकर गुजरे। यह नियम विश्व में बाकी जगह है।

सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है, वह निर्माताओं के साथ, बड़े आराम से सरा आरोप बस के बॉड़ी निर्माताओं पर डाल रही है। इस पर सरकार की चुप्पी उन बस निर्माताओं को बचा रही है जिन्हें बस के उन बॉडी निर्माताओं से ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए जिनको इस प्रकार के इंजनों

को लगाने की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बॉडी तैयार करने का प्रशिक्षण प्राप्त है। पाइपों को लगाने, घर्षण और त्वरण कम करने के बारे में तकनीकी मानकों की आवश्यकता है।

यह कुछ प्रेस कतरने इस जन नीति विमर्श को केवल उजागर करती हैं। इस विचार-विमर्श में डीजल वाहन निर्माता, दिल्ली परिवहन विभाग, सामाजिक संस्थाओं के स्वच्छ हवा के आंदोलन, विद्यालयों के वह प्राचार्य जो सी.एन.जी. आपूर्ति की कमी और अपनी उन बसों की चिंता थी जिन्हें नई नीति के अनुसार ढ़ाला जाना था।

यह कुछ कतरनें जन नीति की बहस को रेखांकित करती हैं। इन बसों में डीजल वाहन निर्माता, दिल्ली परिवहन विभाग, स्वच्छ वायु के आंदोलन करने वाली नागरिक संगठन और विद्यालयों के वह प्राचार्य थे जो सी.एन.जी की आपूर्ति ओर अपने विद्यालयों की बसों को नीति के अनुसार परिवर्तित करने के बारे में चितिंत थे। दिल्ली राज्य की सरकार चला रही पार्टी कांग्रेस और केंद्र में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी भी इस नीति को लागू करने से होने वाले चुनावी फायदे और नुकसान देख रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय इसमें न्यायपालिका की भूमिका निभा रहा था। संचार माध्यम जनता को इस जटिल परिस्थिति की खबर देने और विभिन्न समूहों को उनके हितों में जनमत तैयार करने का अवसर दे रहा था।

15.6 सारांश

हमने देखा कि जन नीति समाज के हित में सरकार द्वारा काम करने की प्रक्रिया है। कई बार नागरिक समाज सरकार की मौजूदा नीतियों को चुनौती देता है और सत्ता को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर करता है। ऐसे परिवर्तन केवल जनतांत्रिक समाजों में ही संभव हैं क्योंकि इनमें आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था होती है। जनतांत्रिक समाजों में कोई परम सत्ता नहीं होती और जो आज कानून है उसे ही यदि ऐसे दबाव हों तो संसद में विचार करके बदला जा सकता है। विधान पालिका, कार्य पालिका और न्याय पालिका जनतांत्रिक व्यवस्था के प्रमुख घटक हैं। प्रेस या संचार माध्यम जनतंत्र के चौथे और सबसे शक्तिशाली घटक के तौर पर उभरे हैं क्योंकि इनमें जनमत तैयार करने और जन नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। राजनीतिक दल और नागरिक संगठन भी जन नीतियों में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

जन नीतियां विकास की प्रक्रिया की अभिन्न अंग होती हैं। प्रेस भले ही विकास के मामलों की सामान्यतः खबर नहीं देती लेकिन विवाद की स्थिति में वह सभी द ष्टिकोणों को रखते हैं और किसी एक मत के पक्ष में जनमत तैयार करती है।

हमने यह भी सीखा कि प्रेस और राजनीति के संबंधों का एक निश्चत इतिहास है और उन सिद्धांतों की चर्चा की जो इस तर्क को प्रतिपादित करते हैं कि संचार माध्यम जनमत बनाते हैं।

15.7 अभ्यास

1) जननीतियां क्या होती हैं और उनकी विकास में क्या भूमिका है?
2) संचार माध्यम जननीति बनाने में किस प्रकार सहायता करते हैं?
3) जननीति एवं जनमत का स्वरूप बनाने में संचार माध्यमों की भूमिका के मध्य अंतर करते हुए उनका विश्लेषण कीजिए।
4) अधिशासन एवं प्रजातंत्र पर नई संचार तकनीकी का क्या प्रभाव पड़ता है?
5) भूमंडलीकरण प्रक्रिया विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है?